पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

श्याम सुंदर शर्मा

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

(2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 407)

29 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद)

विचार के लिए मुद्दा

क्या बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 74 के तहत याचिकाकर्ता की अनिवार्य सेवानिवृत्ति विधिसम्मत थी?

हेडनोट्स

आक्षेपित अधिसूचना स्पष्टतः दण्डात्मक प्रकृति की है, याचिकाकर्ता पर कलंक लगाती है और बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के दायरे से बाहर है। (पैरा8)

याचिका स्वीकृत की जाती है। (पैरा10)

न्याय दृष्टान्त

महफूज़ आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, **2018 का दीवानी रिट सं. 23655**

बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विद्यापति नंद शर्मा**, 2009 (2) पी.एल.जे.आर. 559**

अधिनियमों की सूची

बिहार सेवा संहिता, 1952

मुख्य शब्दों की सूची

अनिवार्य सेवानिवृत्ति;नियम 74;कलंकपूर्ण आदेश;दण्डात्मक कार्रवाई;लोकहित;दुराचार/कदाचार;प्राकृतिक न्याय;बिहार सेवा संहिता

प्रकरण से उत्पन्न

18.06.2020 की अधिसूचना, जो भवन निर्माण विभाग, बिहार द्वारा जारी की गई, जिसके अंतर्गत बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 74 के अंतर्गत याचिकाकर्ता को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री प्रभु नाथ पाठक, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री अशोक कुमार दुबे, ए.ए.जी.-XI के ए.सी.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2021 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.407

===

श्याम सुंदर शर्मा पिता स्वर्गीय जनेश्वर शर्मा निवासी गाँव-छत्तर, थाना-काको, जिला-जहानाबाद।

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।

2. प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

3. अतिरिक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

4. सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

.... उत्तरदाता/ओं

==

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री प्रभु नाथ पाठक, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री अशोक कुमार दुबे, ए. सी. से ए. ए. जी.-XI

==

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मधुरेश प्रसाद

मौखिक निर्णय

तारीखः29-08-2023

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. याचिकाकर्ता अतिरिक्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना (उत्तरदाता संख्या 3) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18.6.2020 (अनुलग्नक-1) से व्यथित है, जिसमें बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 74 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता को अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया है। आदेश से पहले के विचार को दर्शाने वाले आदेश का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः-

> "(3)" भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत 50 (पचास) वर्ष से अधिक आयु वाले अत्यधिक खराब कार्य-कलाप/प्रदर्शन वाले अभियंत्रण संवर्ग के कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों यथा कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने के बिन्दु पर विभागीय प्रधान सचिव की अध्यक्षता में दिनांक-03.06.2020 एवं 04.06.2020 को बैठक सम्पन्न हुई। उक्त बैठक में विभाग के प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ-साथ अभियंत्रण संवर्ग के

वरीय पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में नियंत्री पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन, विभागीय आंतरिक निगरानी स्वच्छता प्रतिवेदन तथा अन्य उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विचारोपरान्त अत्यधिक खराब कार्य-कलाप/प्रदर्शन वाले वैसे कुल छः (06) अभियंताओं को चिन्हित किया गया, जिनकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उन्हें सेवा में बनाये रखना लोकहित में उचित है। चिन्हित किये गये उक्त अभियंताओं को पूर्व में भी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से कार्य-कलाप में सुधार, पदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु बार-बार सचेत किये जाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का अक्षरशः पालन हेतु निर्देश दिये जाने के बावजूद भी उनके कार्य-कलाप तथा पदीय दायित्व निर्वहन में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो पाया है। साथ ही इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों एवं सरकार के निर्देश की लगातार अवहेलना की गयी है। तद्आलोक में सर्वसम्मति से बिहार सेवा संहिता के नियम-74 के तहत उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गयी।"

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने दलील दी है कि याचिकाकर्ता को कभी भी कोई आरोप-पत्र या कारण पृच्छा नोटिस नहीं दिया गया। दूसरी दलील यह है कि याचिकाकर्ता की ओर से प्रति-शपथपत्र के प्रत्युत्तर के अनुलग्नक-5 में निहित 23-07-2020 के सरकारी संकल्प के अनुसार, याचिकाकर्ता के संपूर्ण सेवा प्रदर्शन पर विचार किया जाना था और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में प्रतिकूल प्रविष्टि, यदि कोई हो, को भी ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। तीसरी दलील यह है कि याचिकाकर्ता को न तो नोटिस दिया गया है और न ही उसे नोटिस के बदले तीन महीने का वेतन दिया गया है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने इस न्यायालय के ***2018 के सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 23655 में महफूज***

आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय और साथ ही ***बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम विद्या नंद शर्मा, 2009 (2) पीएलजेआर 559: 2009(1) बीएलजेयूडी 155*** में प्रतिवेदित मामले में मामले में खंडपीठ के निर्णय पर भरोसा किया है। निवेदन यह है कि यदि आदेश बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के दायरे से बाहर है, तो यह टिकने योग्य नहीं है।

4. राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने यह प्रस्तुत किया कि अधिसूचना से स्पष्ट रूप से यह प्रकट होता है कि आदेश बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अनुसार कारणों सहित पारित किया गया है। इस संबंध में प्रासंगिक अंश इस प्रकार पुनरुत्पादित किया गया है :

> *"नियम 74.(क) राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को, जिसने अपनी पहली नियुक्ति की तिथि से गणना करते हुए इक्कीस वर्ष की ड्यूटी और पच्चीस वर्ष की कुल सेवा पूरी कर ली है, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के लिए कह सकती है, यदि वह समझती है कि उसकी कार्यकुशलता या आचरण ऐसा नहीं है कि उसे सेवा में बनाए रखा जा सके। जहाँ किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त होने की आवश्यकता होती है, वहाँ किसी विशेष मुआवजे का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।*
>
> *[(ख)(i) उपर्युक्त उप-नियम में निहित किसी बात के बावजूद कोई भी सरकारी सेवक, नियुक्ति प्राधिकारी को कम से कम तीन माह का पूर्वलिखित नोटिस देकर, उस तिथि को सेवा से सेवानिवृत्त हो सकता है जिस दिन वह 30 वर्ष की अर्हताप्राप्त सेवा पूरी करता है या 50 वर्ष*

की आयु प्राप्त करता है अथवा उसके बाद की किसी तिथि पर, जैसा कि नोटिस में निर्दिष्ट किया गया हो:

परंतु, यदि कोई सरकारी सेवक निलंबन में है तो वह राज्य सरकार की विशेष स्वीकृति के बिना सेवा से सेवानिवृत्त नहीं हो सकता।]

2 [पटना उच्च न्यायालय (रांची स्थित सर्किट बेंच के अधिकारियों सहित) के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश की नियम-निर्माण शक्ति के अधीन आने वाले अधिकारी/कर्मचारी, यदि निलंबन में हों, तो वे केवल मुख्य न्यायाधीश की विशेष स्वीकृति से ही सेवा से सेवानिवृत्त हो सकते हैं।

3[(ii) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी सरकारी सेवक को लोकहित में सेवा से सेवानिवृत्त कर सकता है, बशर्ते कि उसे कम से कम तीन माह का लिखित नोटिस दिया जाए अथवा उसके बदले तीन माह का वेतन एवं भत्ते का भुगतान किया जाए। यह सेवानिवृत्ति उस तिथि से प्रभावी होगी जिस दिन सेवक 30 वर्ष की अर्हताप्राप्त सेवा पूरी करता है या 50 वर्ष की आयु प्राप्त करता है अथवा उसके बाद की किसी तिथि से, जो नोटिस में निर्दिष्ट हो।]

[1](iii) जो सरकारी सेवक स्वेच्छा से अथवा लोकहित में इस नियम के अंतर्गत 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 30 वर्ष की अर्हताप्राप्त सेवा पूर्ण करने पर सेवानिवृत्त होता है, वह सेवानिवृत्ति पेंशन तथा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पाने का अधिकारी होगा।

5. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला **महफूज़ आलम** (उपर्युक्त) के मामले के समान नहीं है। इस न्यायालय ने **महफूज़ आलम** (उपर्युक्त) के मामले में यह ध्यान में लिया था कि वहाँ याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रस्ताव

रखा गया था और विधिवत गठित कार्यवाही की कठोरताओं से बचने के लिए प्राधिकारियों ने बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अंतर्गत शक्ति का सहारा लिया था। ऐसे परिस्थितियों में, न्यायालय ने पाया कि बिहार सेवा संहिता के नियम 74 का सहारा लेना विधि के अनुसार नहीं था। खंडपीठ का निर्णय भी याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं है, क्योंकि उस निर्णय में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश/अधिसूचना स्वयं एक कलंक लिए हुए था, जिसका उल्लेख खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनु. 13 में किया गया है।

6. प्रतिद्वंदी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, न्यायालय ने पाया कि दिनांक 18-06-2020 का आक्षेपित आदेश, जो बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के अंतर्गत माना जाता है, में याचिकाकर्ता के कदाचार/कदाचारों के अभियोग के कथन शामिल हैं। आक्षेपित अधिसूचना का प्रासंगिक अंश इस प्रकार है:-

> "......विचारोपरान्त अत्यधिक खराब कार्य-कलाप /प्रदर्शन वाले वैसे कुल छः (06) अभियंताओं को चिन्हित किया गया, जिनकी कार्य दक्षता या आचार ऐसा नहीं है, जिससे उन्हें सेवा में बनाये रखना लोकहित में उचित है। चिन्हित किये गये उक्त अभियंताओं को पूर्व में भी औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप से कार्य-कलाप में सुधार, पदीय दायित्वों के समुचित निर्वहन हेतु बार-बार सचेत किये जाने एवं उच्चाधिकारियों के आदेशों का अक्षरशः पालन हेतु निर्देश दिये जाने के वावजूद भी उनके कार्य-कलाप तथा पदीय दायित्व निर्वहन में अपेक्षित सुधार परिलक्षित नहीं हो पाया है। साथ ही इनके द्वारा वरीय पदाधिकारियों एवं सरकार के निर्देश की लगातार अवहेलना की गयी है।...."

7. आक्षेपित अधिसूचना, जैसा कि उसके साधारण पठन से स्पष्ट है, बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के प्रावधानों के आधार पर नहीं है। उक्त अधिसूचना आरोप लगाती

है और दुराचरण का संकेत देती है, जो कि उपर्युक्त उद्धृत बिहार सेवा संहिता के नियम 74(क) के दायरे से स्पष्ट रूप से बाहर है।

8. "अधिसूचना, इसलिए, याचिकाकर्ता पर कलंक लगाती है और स्पष्ट रूप से, उपरोक्त उल्लिखित आक्षेपित आदेश के अनुसार, विभिन्न कथित चूक और कमी के परिणामस्वरूप है।। इसलिए, आक्षेपित अधिसूचना स्वभावतः दंडात्मक है और बिहार सेवा संहिता के नियम 74 के दायरे से परे है। ***विद्या नंद शर्मा*** *(उपर्युक्त)* के मामले में खंडपीठ का निर्णय इस न्यायालय की वर्तमान रिट कार्यवाही में की गई इस निष्कर्ष का समर्थन करता है। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय पर आधारित स्थापित विधिक स्थिति को देखते हुए, आक्षेपित अधिसूचना स्पष्ट रूप से विधि की दृष्टि में अस्थिर (अमान्य) है।"

9. अतः दिनांक 18-06-2020 की आक्षेपित अधिसूचना (अनुलग्नक-1) निरस्त की जाती है।

10. तदनुसार, रिट याचिका की अनुमति दी जाती है।

(मधुरेश प्रसाद, न्यायमूर्ति)

राज किशोर/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।